-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा अवैध गांजे के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से 2.7 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन ईगल" के क्रम में थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गौरतलब हो कि दिनांक 03/04.09.2026 की देर रात्रि थाना बिसण्डा पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त पुनीत पुत्र राममिलन निवासी ग्राम महावीर का पुरवा अंश बिलगांव थाना बिसण्डा जनपद बांदा को बांदा-बिसण्डा मार्ग पर खुरहण्ड मोड़ के पास से अवैध सूखे गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है । तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से कुल 02 किलो 700 ग्राम सूखा गांजा बरामद हुआ है । पुलिस द्वारा बरामद अवैध सूखे गांजे को कब्जे में लेकर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया ।

बरामदगी-

- 02 किलो 700 ग्राम अवैध सूखा गांजा ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पुनीत पुत्र राममिलन निवासी ग्राम महावीर का पुरवा अंश बिलगांव थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 406/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 243/22 धारा 326/504/506 भादवि थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।
- मु0अ0सं0 380/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।
- मु0अ0सं0 340/25 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष बिसण्ड़ा श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी
2. उ0नि0 गौरव कुमार मिश्रा
3. कां0 जितेन्द्र सिंह
4. कां0 संगम यादव